UPBN240024142023

Criminal Misc. Cases/59/2023 (Delivered on 20-03-2026)

Presented on : 24-07-2023
Registered on : 24-07-2023
Decided on : 20-03-2026
Duration : 2 years, 7 months, 27 days

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट,सहसवान,जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीःहरेन्द्र सिंह,(उ० प्र०न्यायिक सेवा),J.O.Code.3676)

आपराधिक परिवाद संख्याःः59/2023

1- श्रीमती सुहागवती पत्नी मुनेश कुमार पुत्री मुलायम सिंह,
निवासी-हाल ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।(उम्र-23 वर्ष)

...परिवादी

1- मुनेश कुमार पुत्र महावीर,(उम्र-26 वर्ष)
2- श्रीमती ज्वाला देवी पत्नी महावीर,(उम्र-58 वर्ष)
3- महावीर पुत्र धन्नू,(उम्र-60 वर्ष)
4- श्रीमती शीनू पत्नी मनोज कुमार,(उम्र-28 वर्ष)
5- मनोज कुमार पुत्र महावीर,(उम्र-32 वर्ष)
6- जयप्रकाश पुत्र महावीर,(उम्र-36 वर्ष)
निवासीगण-ग्राम दबथरा श्याम, थाना-जुनावई, जिला-सम्भल।

..अभियुक्तगण

अंतर्गत धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री मुहम्मद हनीफ।

<u>एकपक्षीय निर्णय</u>

2- परिवादिनी **श्रीमती सुहागवती पत्नी मुनेश कुमार** द्वारा वाद **अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** उक्त वाद पत्र में याचित अनुतोश हेतु संस्थित किया गया है।

3- संक्षेप में परिवादिनी **श्रीमती सुहागवती** का कथन है कि ''परिवादिनी की शादी सन् 2019 में प्रत्यर्थी संख्या-1 मुनेश कुमार के साथ हुई थी। शादी के समय से परिवादिनी के पिता ने सोने चांदी के जेवरात तथा घर गृहस्थी का सारा समान परिवादिनी की ससुराल वालों को उपहार में दिया था, लेकिन प्रत्यर्थीगण जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, दहेज में मिले सामान से खुश नहीं थे। जिसकी वजह से शादी के बाद से ही परिवादी को कम दहेज के ताने देते थे और बात-बात पर मारपीट करते थे तथा दहेज में बुलट मोटर साइकिल व 500000/-रूपये की मांग करते थे। दिनांक 14.05.2023 की बात है कि परिवादिनी के भाई बृह्मदेव परिवादिनी की खैर खबर लेने परिवादिनी के भाई से भी एक बुलट मोटर साइकिल व 500000/-रूपये की मांग की, तो उन्होंने उनकी मांग पूरी करने में अपनी मजबूरी दर्शायी तो परिवादिनी की ससुराल वालों ने परिवादिनी को घर से बाहर निकाल दिया, किन्तु फिर भी जब

परिवादिनी अपनी ससुराल से अपने मायके आने को तैयार नहीं हुई, तब परिवादिनी के पति व जेठ परिवादिनी को जबरदस्ती बस में बिठाकर सहसवान चौकी नं०-4 पर छोड़ कर चले गये। तब से परिवादिनी यह सोचकर अपने मायके में बैठी रही कि शायद ससुराल वालों को सद्बुद्धि आ जाये और वे परिवादिनी को बुलाकर ले जावें, लेकिन एक माह का समय गुजर जाने के बाद भी जब परिवादिनी को बुलाने कोई नहीं आया, तो परिवादिनी के पिता अपने भाई व रिश्तेदारों को अपने साथ लेकर परिवादिनी की ससुराल गये और उनसे अपनी बेटी को बुलाने को कहा, लेकिन परिवादिनी की ससुराल वालों ने बिना अपनी मांग पूरी हुए परिवादिनी को बुलाने से साफ इंकार कर दिया। तब मजबूर होकर परिवादिनी पिता के साथ घटना की रपट लिखाने थाना सहसवान गयी, लेकिन वहां पर परिवादिनी की रपट नहीं लिखी तब परिवादिनी ने घटना का प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्ट्री डाक एस०एस०पी० बदायूँ को प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब अंत में विवश होकर परिवादिनी ने न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध परिवाद संख्या-1018 सन् 2023 सुहागवती बनाम मुनेश कुमार आदि धारा-498A, 354, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम योजित किया जो कि विचाराधीन है। परिवादिनी अनपढ़ ग्रामीण महिला है, कोई कार्य सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि नहीं जानती है। जिसके कारण स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या-1 दिल्ली में अपनी प्रा० लि० कम्पनी चलाता है। जिससे उसको लगभग 500000/-(पांच लाख) रूपया माहवार आमदनी होती है तथा उसके पिता के पास काफी खेती की जमीन है, जिसकी पैदावार से उसको अतिरिक्त आमदनी होती होती है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण द्वाराः-

प्रत्यर्थीगण द्वारा परिवादिनी को मारपीट कर साझी गृहस्थी के मकान से बाहर निकाल कर परिवादिनी को दूध, खाना, कपड़ा, दवाईयां एवं जरूरत का अन्य सामान उपलब्ध न कराकर लगातार आर्थिक हिंसा कारित की जा रही है।

अतः निम्न याचना की गयी है किः–

धारा-18 प्रत्यर्थीगण व उसके सम्बन्धियों को परिवादिनी के विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए दूर रहने का निर्देश

धारा-19 के अधीन परिवादिनी को उसके निवास स्थान से बेदखल करने एवं बाहर निकालने से रोकने का आदेश व परिवादिनी की निजी चीज बस्त तक पहुँच जारी रखने का हकदार बनाने का आदेश।

धारा-20 के अधीन परिवादिनी को आधारभूत सुविधाओं के लिए प्रतिमाह 5000/-रूपये व अन्य खर्चे हेतु दो हजार रूपये कुल 7000/-रूपये प्रतिमाह प्रत्यर्थी संख्या-1 से दिलाये जाने का आदेश।

धारा-22 के अधीन प्रतिकर क्षतिपूर्ति बावत परिवादिनी को मारपीट कर की गयी शारीरिक हिंसा की क्षतिपूर्ति अंकन 50000/-रूपये व प्रत्यर्थीगण द्वारा परिवादिनी को उसके निवास स्थान से बाहर निकालकर एवं उसको खाना कपड़ा दवाईयों का खर्चा एवं आवश्यकता का अन्य सामान उपलब्ध न कराकर की गयी आर्थिक हिंसा की क्षतिपूर्ति अंकन 50000/-रूपये। इस प्रकार 100000/-रूपये एकमुश्त प्रत्यर्थी संख्या-1 से दिलायी जावे।

4- पत्रावल के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी की गयी, परिवादी द्वारा विपक्षीगण 1 ता 6 पर नोटिस की पैरवी बजरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गयी। जिसकी रसीदात कागज संख्या-9ख/1 ता 9ख/8 परिवादी द्वारा दाखिल की गयी। इस प्रकार विपक्षीगण पर न्यायालय द्वारा आदेश पत्रक दिनांकित 05.02.2025 पर आदेश कर विपक्षीगण पर तामील पर्याप्त माना गया था। तदुपरान्त विपक्षीगण को न्यायालय आदेश दिनांकित 31.05.2025 के माध्यम से विपक्षीगण को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया एवं विपक्षीगण द्वारा कोई भी आपत्ति दाखिल न कर पाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 30.06.2025 के माध्यम से विपक्षीगण का आपत्ति का अवसर समाप्त कर पत्रावली की कार्यवाही को एकपक्षीय साक्ष्य में अग्रसारित किया गया।

5- परिवादिनी द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में सूची दिनांकित 19.02.2026 से सत्यप्रतिलिपि परिवाद पत्र परिवाद संख्या-1018/2023 विरूद्ध मुनेश कुमार,

सत्याप्रतिलिपि उपरोक्त परिवाद में पारित तलबी आदेश दिनांकित 07.12.2023 जिसमें इस परिवाद के विपक्षीगण को अभियुक्तगण मुनेश कुमार, श्रीमती ज्वाला देवी, महावीर, श्रीमती शीनू व मनोज कुमार को अंतर्गत धारा-498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहित एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व अभियुक्त जयप्रकाश को अंतर्गत धारा-498 ए, 323, 354 भारतीय दण्ड संहित एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के रूप में विचारण हेतु तलब किया गया है, सत्यप्रतिलिपि जमानत आदेश दिनांकित 24.04.2024,फोटो जयमाला प्रोग्राम व शादी कार्ड की मूल प्रति दाखिल की गयी है।

6- मौखिक साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा स्वयं का पी०डब्ल्यू०-1 मुख्य परीक्षा शपथ पत्र एवं पी०डब्ल्यू०-2 साक्षी मुलायम सिंह पुत्र प्यारे लाल का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें स्वयं परिवादिनी व परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी द्वारा परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया गया है।

परिवादिनी को एकपक्षीय रूप से सुना व अवलोकन किया।

7- न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या परिवादिनी के साथ विपक्षीगण के द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गयी है अथवा नहीं, यदि हां तो उसका प्रभाव ? व क्या परिवादिनी घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नहीं?

8- परिवादिनी द्वारा दाखिल मौखिक साक्ष्य पी०डब्ल्यू०-1 व पी०डब्ल्यू०-2 शपथ पत्र जो कि विपक्षीगण द्वारा जिरह कर खण्डित नहीं किये गये हैं, न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की है। जबकि विपक्षीगण को प्रस्तुत परिवाद की पूर्ण जानकारी है। मौखिक साक्ष्य एवं परिवाद पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी अपने मायके में रह रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद संख्या-1018/2023 थाना सहसवान इस न्यायालय में विचारधीन है। जिसमें प्रस्तुत मुकदमें के विपक्षीगण को परिवादिनी के साथ प्रथम दृष्टया क्रूरता किये जाने के कारण विचारण हेतु तलब किया गया है एवं विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त परिवाद में अपने जमानतनामें भी प्रस्तुत किये हैं। यह सभी दस्तावेज परिवादिनी द्वारा दाखिल किये गये हैं। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को अपने मायके में छोड़ रखा है व उसे गृहस्थी में वापस नहीं ले जाने को तैयार हैं, ऐसे विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित की जा रही है। इस प्रकार परिवादिनी धारा-18 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष पाने की हकदार है।

9- जहां तक धारा-19 के विषय से सम्बन्ध है परिवादिनी ने अपनी शादी में दिये गये स्त्रीधन को भी विपक्षीगण ने अपने कब्जे में ले लिये जाने का कथन किया है, परन्तु परिवादिनी द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3 के तहत नियमानुसार उपहारों की सूची पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है और न ही अपने मौखिक साक्ष्य में इस सम्बन्ध में कोई कथन किया है। परिवादिनी अपने मायके में निवास कर रही है। उसे निवास की सुविधा प्रदान किया जाना विपक्षी संख्या-1 का विधिक दायित्व है। चूंकि विपक्षीगण परिवादिनी को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हैं एवं क्रूरता कारित कर रहें हैं एवं लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उसे ससुराल में निवास करने के बजाय अपने मायके में ही निवास करने हेतु किराये की धनराशि प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा-19 के अंतर्गत परिवादिनी अनुतोष पाने की हकदार है।

10- जहां तक धारा-20 व 22 के विषय से सम्बन्ध है परिवादिनी द्वारा धनीय अनुतोष प्रदान किये जाने की याचना की है। परिवादिनी द्वारा किसी विशिष्ट खर्च के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु विपक्षी संख्या-1 परिवादिनी का पति है एवं उसका यह विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य आदि से यह विदित है कि परिवादिनी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है व सक्षम नहीं है। उसके पास कोई आय का स्त्रोत नहीं है। वह एक घरेलू महिला है। परिवादिनी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विपक्षी संख्या-1 की आया व आर्थिक स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, बावजूद इसके विपक्षी संख्या-1 का अपनी पत्नी परिवादिनी के भरण पोषण की विधिक जिम्मेदारी है। ऐसे में

प्रार्थिनी धनीय अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

11- प्रार्थिनी व विपक्षीगण की स्थिति को देखते हुए परिवादिनी को उसके निवास हेतु 1500/-रूपये प्रतिमाह की किराये की धनराशि प्रदान किया जाना न्यायोचित है तथा भरण पोषण हेतु 2500/-रूपये प्रतिमाह धनराशि प्रदान किया जाना न्यायोचित है। जहां तक घरेलू हिंसा से प्रतिकर का सम्बन्ध है परिवादिनी को विपक्षीगण से एकमुश्त 40000/-रूपये की धनराशि दिलाया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त वर्णित अनुतोष को स्वीकार करते हुए परिवादिनी का प्रार्थना पत्र तदनुसार एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी श्रीमती सुहागवती पत्नी मुनेश कुमार पुत्री मुलायम सिंह निवासी हाल ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली थाना सहसवान जिला बदायूँ का धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वाद आंशिक रूप से एकपक्षीय तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा समस्त विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थिनी के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक घरेलू हिंसा कारित करने से बाज रहें। यदि विपक्षीगण किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा परिवादिनी के साथ या उसके मायके में आकर कारित करते हैं, तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना प्रभारी सहसवान जिला बदायूँ व थानाध्यक्ष थाना प्रभारी जुनावई जिला सम्भल समस्त विपक्षीगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लावें।

विपक्षी संख्या-1 को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी के मायके में रहने हेतु किराये के निवास के लिए 1500/-रूपये प्रतिमाह व भरण पोषण हेतु 2500/-रूपये प्रतिमाह की दर से कुल अंकन 4000/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करे। भरण पोषण व किराये की धनराशि आदेश के दिनांक से देय होगी व विपक्षी संख्या-1 उक्त रकम अंकन 4000/-रूपये प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में परिवादिनी को अदा करेगा व प्रतिकर क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त धनराशि 40000/-रूपये आदेश की दिनांक से अंदर एक माह परिवादिनी को प्रत्येक दशा में अदा करेगा।

उक्त निर्णय की एक प्रति परिवादिनी को निःशुल्क प्रदान की जावे। निर्णय की एक-एक प्रति थानाध्यक्ष सहसवान जिला बदायूँ व थानाध्यक्ष जुनावई जिला सम्भल एवं जिला संरक्षण अधिकारी जिला बदायूँ को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। कार्यालय अनुपालन करे।

दिनांकः20-03-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः20-03-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

Transcribed on :Arshad Ali.(Steno)